

जिला अभियंता, जिला परिषद, रामगढ़


निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 05/2018-19

1. विज्ञापन दाता का नाम : जिला अभियंता, जिला परिषद, रामगढ़।
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि : दिनांक 26.07.2018 से 01.08.2018
(5:00 बजे अपराह्न तक)
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : दिनांक 02.08.2018 (3:00 बजे अपराह्न तक)
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 02.08.2018 (3:30 बजे अपराह्न)
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान : जिला परिषद कार्यालय, रामगढ़।
6. निविदा प्राप्त करने/खोलने का स्थान : जिला परिषद कार्यालय, रामगढ़।
7. कार्य की विस्तृत विवरणी :-

क्र० शुप सं०	योजना का नाम	प्रखण्ड	प्राक्कलित राशि (रुपये में)	अग्रधन की राशि (रुपये में)	परिमाण विपत्र की राशि (रुपये में)	कार्य समाप्ति की अवधि (कायदेश की तिथि से)
1	पतरातु प्रखण्ड के हरिहरपुर पंचायत भवन का शेष पुनरीक्षित कार्य।	पतरातु	932639.00	18653.00	1250.00	8 माह
2	पतरातु प्रखण्ड के बीचा पंचायत भवन का शेष पुनरीक्षित कार्य।	पतरातु	947955.00	18960.00	1250.00	8 माह
3	पतरातु प्रखण्ड के लबगा पंचायत भवन का शेष पुनरीक्षित कार्य।	पतरातु	857731.00	17155.00	1250.00	8 माह

निविदा की शर्तें जिला परिषद, रामगढ़ के सूचनापट्ट पर देखी जा सकती हैं।


नोट:-जिला परिषद, रामगढ़ में समूचित श्रेणी में निर्बंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।


जिला अभियंता

जिला परिषद, रामगढ़।

नियम एवं शर्तें:-

1. निविदा के साथ निविदा प्रपत्र में अंकित अग्रधन की राशि 2 प्रतिशत के रूप में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र का आठवां निर्गम, तीन वर्षीय/पाँच वर्षीय/छाकघर सावधी जमा पासबुक, झारखण्ड राज्य के किसी डाकघर से निर्गत हो, झारखण्ड राज्य के अनुसूचित बैंक से सावधी जमा प्रमाण पत्र अथवा अनुसूचित बैंकों द्वारा निर्गत बैंक गारण्टी जो जिला अभियंता, जिला परिषद, रामगढ़ के पदनाम से विधिवत प्रज्ञापित हो और जिसका कार्य के अनुरूप समय-समय पर अवधि विस्तार किया जा सके, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. परिमाण विपत्र के लिए आवेदन पत्र के साथ परिमाण विपत्र की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में ही मान्य होगा। बैंक ड्रॉफ्ट जिला अभियंता, जिला परिषद, रामगढ़ के पदनाम से भुगतान होगा। यह राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जायेगी। बैंक ड्रॉफ्ट की वैधता निविदा निर्गत की तिथि से कम से कम तीन माह का होना अनिवार्य है।
3. परिमाण विपत्र की क्रय के समय बैंक दरिद्र प्रमाण पत्र एवं निबंधन से संबंधित मूल अभिलेख की अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा अन्यथा परिमाण विपत्र नहीं दिया जाएगा।
4. निविदादाता को सलाह दी जाती है कि अपने खर्च पर स्थल का अवलोकन कर स्थिति की समीक्षा कर लें एवं संतुष्ट होकर ही निविदा में भाग लें।
5. किसी भी संवेदक को कार्य के आवंटन के उपरांत सबलेट करना एकरारनामा शर्त का उल्लंघन माना जाएगा एवं समुचित सूचना प्राप्त होने पर एकरारनामा रद्द करते हुए संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाएगी।
6. लघु खनिज नियमावली 1992 के नियम 110 अनुपालन करना होगा। सभी व्यवहृत लघु खनिजों के जनन पदाधिकारी द्वारा स्थापित कार्य O एवं P की उपलब्धता पर ही संपादित कार्यों का भुगतान किया जाएगा।
7. यदि निविदा प्राप्ति की तिथि अवकाश घोषित होता है, तो अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय पर निविदा प्राप्त की जाएगी।
8. निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं।
9. निविदा प्रपत्र में सन्निहित सभी शर्तें निविदादाता को मान्य होगी।
10. विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण सामग्री (सीमेंट, लोहा इत्यादि) एवं यांत्रिक उपकरण (मिक्सचर मशीन, भाईब्रेटर इत्यादि) मुहैया नहीं करायी जायेगी।
11. गुण नियंत्रण प्रतिवेदन के बिना विपत्र का भुगतान नहीं किया जायेगा।
12. निविदा के पूर्व कार्य स्थल एवं सामग्री स्रोतों की जानकारी सुनिश्चित कर लेंगे।
13. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जाएगा आवंटन के अभाव में किसी तरह का दावा मान्य नहीं होगा।
14. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा एवं इसके निमित्त कोई सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।
15. निविदा के साथ चैन कार्ड, बिक्री कर, स्वच्छता प्रमाण - पत्र, अद्यतन आयकर रिटर्न की प्रति, निबंधन पहचान पत्र, आचरण प्रमाण -पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि का सक्षम पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
16. सामान्यतः इन कार्यों के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी एवं एकरारनामा अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
17. सरकार द्वारा स्वीकृत की गई न्यूनतम मजदूरी दर का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
18. निविदा दाताओं को संबंधित कार्य का एक समबद्ध कार्यक्रम समर्पित करना होगा, जो एकरारनामा का एक अंग होगा।
19. कार्य आवंटन के उपरांत एक सप्ताह के अन्दर एफ0दु0 (F2) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा अन्यथा विलम्ब होने पर अग्रधन की राशि जफ्त कर ली जायेगी।
20. एकरारनामा के समय एकरारित राशि की 3% राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र का आठवां निर्गम, तीन वर्षीय/पाँच वर्षीय/छाकघर सावधी जमा पासबुक, झारखण्ड राज्य के किसी डाकघर से निर्गत हो, झारखण्ड राज्य के अनुसूचित बैंक से सावधी जमा प्रमाण पत्र अथवा अनुसूचित बैंकों द्वारा निर्गत बैंक गारण्टी जो जिला अभियंता, जिला परिषद, रामगढ़ के पदनाम से विधिवत प्रज्ञापित हो लिया जायेगा शेष 5% चलता लेखा विपत्र से काटा जायेगा।
21. प्राक्कलन की राशि घट सकती है तदनुसार अग्रधन की राशि परिवर्तन हो सकता है।
22. संवेदक द्वारा निविदा राशि 10% से कम या ज्यादा दर पर दिया गया निविदा मान्य नहीं होगा।
23. विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क करें या सूचना पट्ट देखें।
24. UCAN पंजीयन रसीद की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
25. प्रत्येक परिमाण विपत्र क्रय हेतु अलग - अलग मूल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट का होना अनिवार्य है।
26. जिन संवेदकों को पूर्व में कार्य आवंटित किया गया था एवं उनके द्वारा समय पर कार्य पूर्ण किया गया है, वैसे संवेदकों को इस निविदा में तरजीह दी जायेगी।


जिला अभियंता,
जिला परिषद, रामगढ़।

ज्ञापांक:-...1329.../ जि0अभि0,

रामगढ़, दिनांक :- 17/07/2018

प्रतिलिपि :- उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को सूचनार्थ समर्पित ।

जिला अभियंता

जिला परिषद, रामगढ़।

ज्ञापांक:-...1329.../ जि0अभि0,

रामगढ़, दिनांक :- 17/07/2018

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, जिला परिषद, रामगढ़ /उपाध्यक्ष, जिला परिषद, रामगढ़/उप विकास आयुक्त,-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, रामगढ़ को सूचनार्थ समर्पित ।

जिला अभियंता

जिला परिषद, रामगढ़।

ज्ञापांक :-...1329.../ जि0अभि0,

रामगढ़,दिनांक :- 17/07/2018

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुरोध है कि उक्त निविदा आमंत्रण सूचना को www.ramgarh.nic.in पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

जिला अभियंता

जिला परिषद, रामगढ़।